हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12.4.17 आज पत्रावली प्रार्थी प्रतिवादी राजू के प्रार्थना-पत्र पर कार्यालय से तलब की गई। प्रार्थी ने प्रा० पत्र 152 अ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निर्णय डिक्री दिनांक 6.9.16 में ख.नं. $\frac{1334}{0.34}$ का हिस्सा 1/10 के स्थान पर ख.नं. $\frac{1324}{0.34}$ का 1/20 हि० एवं ख.नं. $\frac{1320}{0.56}$ का 1/20 हि० के स्थान पर ख.नं. $\frac{1320}{0.56}$ का 5/76 हि० होना चाहिए था। अतः अनुसार मूल निर्णय व डिक्री के त्रुटि को दूर कर नोट अंकित किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से उपलब्ध तहसीलदार नगर के पत्रांक/राजस्व/2017/321 दिनांक 8.3.2017 से डिक्री की पालना के सम्बन्ध में मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं अंकित हिस्सा एवं निर्णय डिक्री दि० 6.9.16 में भिन्नता है तथा ख.नं. 1334 के बजाय 1324 होना चाहिए जिसकी बाबत मार्ग दर्शन चाहा है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र 152 अ स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री दि० 6.9.16 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जाता है - "ख.नं. $\frac{1334}{0.34}$, $\frac{1320}{0.56}$ में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा क्रमशः 1/10 व 1/20 में" के स्थान पर ख.नं. $\frac{1324}{0.34}$, $\frac{1320}{0.56}$ में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा क्रमशः 1/20 व 5/76 में संशोधन किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा। इस आदेश को नोट लाल स्याही से मूल निर्णय व डिक्री दि० 6.9.16 में अंकित किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार नगर को लिखा जावे। पत्रावली देखते पुनः पेश होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कुम्हेर (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner